

प्रपत्र—एक
'सहमति प्राप्ति के लिए प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

अधिनियम की धारा 25/26 के अधीन निस्सरण/निस्सरण जारी रखने की सहमति के लिए आवेदन पत्र
(नियम-3 देखिये)

प्रेषक,

सेवा में,

सदस्य—सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ

महोदय,

मैं/हम (1) के स्वामित्व की भूमि/गृहादि से (2) तक की अवधि के लिए मल/ व्यावसायिक बहिःस्थाव के निस्सरण के लिए किसी नए या परिवर्तित निकास का प्रयोग करने, /व्यावसायिक बहिःस्थाव का नया निस्सरण करना आरम्भ करने या मल/ व्यावसायिक बहिःस्थाव निस्सरण करना जारी रखने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 25/26 के अधीन के सहमति लिए आवेदन करता हूँ/करते हैः—

1— द्रव/ठोस अवशिष्ट का व्ययन

- (क) नालियों/निकासी मल सुरंगों/मल अभिक्रिया संकरण से होकर मल/मैला पानी।
(ख) नालियों/निकासी मल सुरंगों/मल अभिक्रिया संकरण से होकर व्यावसायिक बहिःस्थाव ।
(एक) सरिता...../नदी, या
(दो) सिंचाई के लिए भूमि पर, जिसकी सर्वेक्षण संख्या..... है और जो सरिता/
नदी के समीपस्थ..... की दूरी पर है या
(तीन) झील/तालाब में जो सरिता/नदी के समीपस्थ/ की दूरी पर है, या
(चार) सर्वेक्षण संख्या.....के अन्तर्भौमिक स्तर में, जो.....सरिता/
नदी के समीपस्थ/ की दूरी पर है, खुले अन्तःश्रवण के लिए
सीधे भूमि पर,

या

(ग) निम्नलिखित में ठोस अवशिष्ट।

- 2— अनुलग्नक, परिशिष्ट, अन्य विशिष्टियों और योजनायें तीन प्रतियों में संलग्न है।
3— मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि अनुलग्नकों, परिशिष्टों और योजनाओं में दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।
4— मैं/हम यह निवेदन करता/हूँ कि यदि निस्सरण के स्थल या मात्रा में या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन होगा तो सहमति के लिए नया आवेदन पत्र दिया जायेगा और जब तक ऐसी सहमति नहीं दी जाती तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
5— मैं/हम इसके द्वारा सहमत होता हूँ/होते हैं कि मैं/हम सहमति के नवीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन पत्र निकास/निस्सरण के लिए सहमति अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास पूर्व प्रस्तुत करूँगा/करेंगे, यदि उसे तत्पश्चात जारी रखा जाना है।
6— मैं/हम वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं कि मैं/हम बोर्ड द्वारा कोई अन्य सूचना मांगी जाने के एक मास के भीतर उसे प्रस्तुत करूँगा/करेंगे।

भवदीय

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
आवेदक का पता.....

संलग्न :

टिप्पणी : जो प्रविष्टियाँ सुसंगत न हो उसे काट दीजिये।

प्रपत्र का अनुलग्नक

वर्तमान/नया परिवर्तित

टिप्पणी :— जो आवेदक गलत सूचना देगा या उससे सम्बन्धित कोई सूचना छिपाएगा वह अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा।

इस अनुलग्नक को भरते समय जिस आवेदक का किसी मद से कोई सम्बन्ध न हो वह सुसंगत मद के सामने सम्बन्धित नहीं” लिखेगा।

1— आवेदक का पूरा नाम और पता

.....
.....
.....

टेलीफोन संख्या
तार का पता

टेलीफोन संख्या
तार का पता

जिला

तहसील

परगना

ग्राम

नगर सर्वेक्षण संख्या/मौजा/मकान संख्या

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

राजस्व सर्वेक्षण सं

क्षेत्रफल हेक्टेयर सं

2— भूमि/परिसर/संस्थान/कारखाना/उद्योग/
स्थानीय निकाय का पूरा नाम और पता

3— उस भूमि/परिसर का जिसके लिए आवेदन
किया गया है, राजस्व नगर सर्वेक्षण संख्या
और जिले, तहसील, परगना और ग्राम का
नाम दीजिए

4— वह मास और वर्ष लिखिए जिससे भूमि/
परिसर संस्थान/कारखाना/उद्योग वस्तुतः
चालू किया गया था या तो उसके चालू
किये जाने का प्रस्ताव है या वह मास और
वर्ष जब से स्थानीय निकाय कार्य कर रहा
है।

5— उस सिविल/सैनिक/रक्षा/ऑड्योगिक/सम्पदा
आदि का का उल्लेख कीजिए।

कलेक्टरी

नगरपालिका/सुधारन्य सं

ग्राम पंचायत

छावनी

रक्षा

विभाग

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

हॉ/नहीं

6— (क) यह उल्लेख कीजिए कि क्या भूमि/
परिसर/संस्थान/कारखाना/उद्योग
प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है।
(ख) यदि हॉ तो उस प्राधिकारी का नाम
दीजिए और उस आदेश का नाम दीजिए
और उस आदेश की प्रमाणित प्रति दीजिए
जिसके अधीन वह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र
घोषित किया गया हो।

7— क्या उद्योग/कारखाना/जिसके लिए
आवेदन किया गया है रविवार/अवकाश
दिन को बन्द होता है।

हॉ/नहीं

8— उद्योग/कारखाने का प्रतिवर्ष काम का
मौसम लिखिए।

पूर्ण वर्ष

.....	से	तक
.....	से	तक
.....	से	तक
.....	से	तक
.....	से	तक

प्रति वर्ष

16– (क) यह बताइये कि औद्योगिक या घरेलू बहिःस्थाव की कोई अभिक्रिया की जाती है या मिश्रित बहिःस्थाव की कोई अभिक्रिया की जाती है। यदि हॉ, तो संक्षेप में अभिक्रिया की प्रक्रिया (प्रथकतः) लिखिए :	हॉ / नहीं		
(ख) क्या अभिक्रिया के बिना या उसके पश्चात निकलने वाले बहिःस्थाव का स्वरूप किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है ?	हॉ / नहीं		
(ग) यदि अनुमोदित किया जाता है तो प्राधिकार पत्र संलग्न कीजिए (दो प्रमाणित प्रतियां भेजी जायें)	हॉ / नहीं		
(घ) क्या किसी दुकान / किसी दुकानों का कोई बहिःस्थाव विषेली है ? यदि हॉ तो इस बहिःस्थाव का परिणाम क्या है?			
17– क्या निम्नलिखित व्ययन के लिए कोई उपबंध है :-	पहले से किया गया	जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है	
(क) लोक अधोभूमि सीवर का घरेलू बहिःस्थाव	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	
(ख) लोक अधोभूमि सीवर का औद्योगिक बहिःस्थाव	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	
(ग) सीवर के स्वामी लोक प्राधिकारी का नाम दीजिए	हॉ / नहीं		
18– क्या निम्नलिखित के व्ययन के लिए कोई उपबंध है :-	पहले से किया गया	जो किये जाने के	
(क) सिंचाई के लिए स्थलीय घरेलू बहिःस्थाव	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	
(ख) सिंचाई के लिये स्थलीय औद्योगिक बहिःस्थाव	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	
(ग) अधोभूमि स्तर में घरेलू बहिःस्थाव	हॉ / नहीं	हॉ / नहीं	
(घ) ऊपर (क) के लिये प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयरों में लिखियें			
(ङ) ऊपर (ख) के लिये प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयरों में लिखियें			
19– नीचे उल्लिखित स्थानों के लिये उपबंधित बहिःस्थाव के व्ययन की मात्रा लीटर में दीजिए:	घरेलू	औद्योगिक	मिश्रित
(एक) सरिता / नदी			
(दो) भूमि पर सिंचाई के लिये			
(तीन) भूमि पर अन्तश्रवण के लिए			
(चार) झील / तालाब			
20– प्रतिकूल सरिता अवस्था के दौरान बहिःस्थाव के संचयन के निमित्त टैंकों के लिए लैगनों के बराबर करने या भरने के लिये क्या कोई उपबंध है :-	पहले से किया गया	जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है	
(एक) घरेलू बहिःस्थाव			
(दो) औद्योगिक बहिःस्थाव			
(तीन) मिश्रित बहिःस्थाव			
21– क्या पर्याप्त भूमि उपलब्ध है / उपलब्ध की जा सकती है यदि भूमि पर बहिःस्थाव के निकालने का विचार करना पड़े।	हॉ / नहीं		

22- (क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में घरेलू/औद्योगिक/
मिश्रित बहिःस्थावों की संख्या के ब्योरे दीजिए।

अभिक्रिया के पूर्व बहिःस्थाव

अधिकतम्	न्यूनतम्	औसत
निस्सरण पर	निस्सरण पर	निस्सरण पर

एल. पी. एन. प्रति. 100 मिली ग्राम/लीटर (मासिक औसत)

- (एक) पी० एच०
- (दो) वर्ग यूनिट सी०
- (तीन) तापमान सी०
- (चार) निलम्बित पिंड
 - (क) कुल मि० ग्रा० /लीटर
 - (ख) स्थिर मि० ग्रा० /लीटर
 - (ग) वाष्पशील मि० ग्रा० /लीटर
- (पाँच) विलयित पिंड
 - (क) कुल मि० ग्रा० /लीटर
 - (ख) स्थिर मि० ग्रा० /लीटर
 - (ग) वाष्पशील पिण्ड मि० ग्रा० /लीटर
- (छ:) कुल वाष्पशील पिंड मि० ग्रा० /लीटर
- (सात) ऐप्पेनिया नाइट्रोजन मि० ग्रा० /लीटर
- (आठ) नाइट्रोट (मि० ग्रा० /लीटर) एन०
- (नौ) विलयित आक्सीजन मि० ग्रा० /लीटर
- (दस) बी. ओ. डी. 5 दिन 20 सें. मि. ग्राम/लीटर
- (ग्यारह) सी. ओ. डी. मि० ग्रा० /लीटर
- (बारह) तेल और ग्रीस मिली ग्राम/लीटर
- (तेरह) कलोराइड मिली ग्राम/लीटर (सी० एल० एल० के रूप में)
- (चौदह) फास्फेट (पी) मिली ग्राम/लीटर
- (पन्द्रह) फिनाइलिंग यौगिक मिली ग्राम/लीटर (फिनाल के रूप में)
- (सोलह) सायनाइड (सी. एन. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (सत्रह) सल्फेट (एस. ओ 4 के रूप) मिली ग्राम/लीटर
- (अटठारह) सल्फाइड (एस. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (उन्नीस) कीटनाशी मिली ग्राम/लीटर
- (बीस) दुल अवशिष्ट-कलोरीन (सी. एल. 2 के रूप में) मि./ग्रा/लीटर
- (इक्कीस) फलोराइड (एफ. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (बाईस) बोरोन (बी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (तेर्इस) आर्सेनिक (ए. एस. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (चौबीस) बेरियम (बी. ए. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (पच्चीस) प्रतिशत सोडियम
- (छब्बीस) कैडिमियम (सी. डी. के. रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (सत्ताइस) तॉबा (सी. यू. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (अटठाइस) सीसा (पी. बी. के. रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (उन्तीस) कोमियम (क) (सी. आर. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (तीस) पारा (एच. जी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (इक्तीस) निकिल (एन. आई. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (बत्तीस) सिलीनियम (एस. ई. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (तैंतीस) रजत (ए. बी. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (चौंतीस) जस्ता (जेम. एन. के रूप में) मिली ग्राम/लीटर
- (पैतीस) कोई अन्य धातु मिली ग्राम/लीटर
- (छत्तीस) कार्बन क्लोराफार्म सत्त्व
- (सैंतीस) नाशकजीज भार मिली ग्राम/लीटर
- (अड्डतीस) वेलाइ रूपी जीव

अभिक्रिया के पश्चात बहिःस्थाव

अधिकतम्	न्यूनतम्	औसत
निस्सरण पर	निस्सरण पर	निस्सरण पर

एल. पी. एन. प्रति. 100 मिली ग्राम/लीटर (मासिक औसत)

(उन्तालीस आविषाक्त घटकों के लिए बायोएसेटी—एल 50 (96 घंटे)

- टिप्पणी— (1) किसी सक्षम प्रयोगशाला द्वारा किए गए प्रतिनिधि नमूना के विश्लेषण की रिपोर्ट की एक प्रति दीजिए।
 (2) ऊपर वर्णित पैरामीटर के अवधारणा के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अवधारण पद्धतियों का अनुसरण किया जाएगा।

(ख) क्या बहिःस्थाव विषैला है ? हॉ / नहीं

(ग) यह बताइये कि क्या औद्योगिक बहिःस्थाव —

(एक) दुर्गन्धयुक्त हॉ / नहीं

(दो) क्षोभकार और या हानिकारक है हॉ / नहीं

(तीन) संक्षारक है हॉ / नहीं

(चार) रंगयुक्त है हॉ / नहीं

(घ) क्या किसी समय उसके तापमान में 10 डिग्री से 0 ग्रेड से अधिक का कोई अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो जाता है।

- 23— (क) क्या अवशिष्ट मल का निम्नलिखित परीक्षण करने के लिए आवेदक के पास सुविधाएँ उपलब्ध हैं —

(एक) भौतिक वर्तमान	प्रस्तावित हॉ / नहीं
--------------------	----------------------

(दो) रसायनिक हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
------------------------	-----------

(तीन) जीवाणुवीय हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
---------------------------	-----------

(चार) विष वैज्ञानिक हॉ / नहीं	हॉ / नहीं
-------------------------------	-----------

(ख) यदि हो, तो उपस्कर के ब्योरे दीजिए।

- 24— जिस भूमि/परिसर आदि के लिए आवेदन किया गया है वह क्या खुला है ? अत्यन्त प्रदूषण दृव्य

विषाक्त	कार्बनिक	अकार्बनिक
		सूक्ष्म जैविकीय

(क) शीतल टैंक

वर्णन/मात्रा	चयन की रीति	व्ययन की रीति
--------------	-------------	---------------

(ख) मिश्रण टैंक

(ग) मिश्रण कुएँ (रा सर्ककुलेशन कुएँ)

- 25— ठोस अवशिष्टों के ब्योरे दीजिए

मौसमी अवशिष्ट

अधिपलावन

उच्छिष्ट सामग्री

- 26— संयंत्र का कुल विनियोजन

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

और पता.....

की ओर से.....

कर्म का नाम और पता.....

संलग्नक —

बहिःस्थाव का अनुक्रम (फ्लोशीट)

प्रपत्र और अनुलग्नक को भरने के लिए भरने के लिए स्पष्टीकरण टिप्पणी

टिप्पणी— केवल उन मदों के लिए दी गई है जिनके लिए स्पष्टीकरण वांछनीय समझा गया है। अन्य मदें स्वयं स्पष्ट हैं।

प्रपत्र — (1) यहाँ भूमि/परिसर के स्वामी का नाम लिखित, यदि वह आवेदक उद्योग या कारखाने से भिन्न का है। यदि

भूमि/परिसर/कारखाना/उद्योग का है तो “स्वयं” लिखिए।

(2) यहाँ वह दिनांक लिखिए जब तक सहमति मांगी गई है।

(3) यहाँ नदी/सरित, जो भी लागू हो, का स्थानीय नाम लिखिए।

प्रपत्र का अनुलग्नक :

“निकास” का तात्पर्य उस बहिःस्थाव के लिए निस्सरण के व्यवस्था से है जिनके लिए सहमति मांगी गई है।

“निस्सरण” का तात्पर्य उस बहिःस्थाव से है जो निकाय से निकल रहा है।

“वर्तमान” का तात्पर्य उससे है जो सहमति के लिये आवेदन करने के समय प्रवर्तन में है।

“नया” का तात्पर्य उससे है जो भविष्य में प्रवर्तन में लाया जायेगा।

“परिवर्तित” का तात्पर्य उससे है जो निस्सरण प्रबन्ध की मात्रा और/या स्वरूप में परिवर्तन और निस्सरण स्थल आदि में परिवर्तन के कारण उपान्तरित किया गया है।

मद-1 : यहाँ उस व्यक्ति का नाम दीजिए जो संस्था/उद्योग, कारखाना/स्थानीय निकास आदि के द्वारा विधिक कामकाज को करने के लिए प्रधिकृत है।

मद-2 : वह कारखाना/उद्योग/आदि का रजिस्ट्रेशन नाम दीजिये जिसके अधीन करोबार चलाया जाता है।

मद-5 : यहाँ सम्बन्धित संस्था जैसे कि लोक उद्यम बयूरों का उल्लेख कीजिये प्रशासनिक नियंत्रण में कारखाना/उद्योग आदि स्थापित किया गया है।

मद-6 : केवल उन क्षेत्रों पर लागू है जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र है, जैसे आर्डोनेन्स कारखाना, टकसाल आदि।

मद-13: (ख) बहिःस्थाव की प्रतिघन्ता/दैनिक अधिकतम मात्रा के माप की पद्धति लिखिये जैसे कि प्रावापमापी, वेन्टरीमापी, बी-नोच, सम्प मेजरमेंट अनुमानित आदि।

मद-15: (क) यदि बहिःस्थाव की अभिक्रिया की जाती है तो प्रथकतः अभिक्रिया की रीति और प्रक्रिया का कमदर्शी आरेख लिखिए।

मद-16: (ख) यहाँ “हाँ” लिखिए, यदि किसी अन्य प्राधिकारी, जैसे स्थानीय निकास या सरकारी विभाग ने पहले से ही अभिक्रिया करने या उसके बिना बहिःस्थाव के निस्सरण को कारखाना/उद्योग की स्थापना के समय अनुमोदित किया है।

मद-19: यहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे घरेलू औद्योगिक या मिश्रित आदि बहिःस्थाव की मात्रा दीजिए, जो कि सरिता/नदी, भूमि या समुद्र आदि में जो भी लागू हो, जाने देने के लिए प्रस्तावित है या जाने दिया जाता है।

मद-22: (क) जो विश्लेषण दिया जाना है उसके अन्तर्गत उतने पैरामीटर आयेंगे जितने कि बहिःस्थाव में पाए जाने की आशा है। यदि कुछ पैरामीटर के पाये जाने की आशा नहीं है कि कहिये कि लागू नहीं होते। यदि मदों के अधीन दिये गये पैरामीटरों से मिन किन्हीं पैरामीटरों के होने की आशा है तो उन्हें अन्त में वर्णित कीजिये। विश्लेषण घरेलू औद्योगिक और मिश्रित बहिःस्थाव के लिये अलग-अलग दिया जाएगा।

मद-22: (ख) यहाँ ‘विषाक्ता’ का तात्पर्य उससे है जो मानक पद्धतियों में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार मछली पर जैव आमापन अध्ययन में स्थापित है।

मद-24: यह मद ऐसे अत्यन्त प्रदूषणकारी पदार्थों को लागू होने के लिये अभिप्रेत है जो सामान्यता बहिःस्थावों में नहीं पाये जाते हैं, किन्तु जिन पर परिसरों में कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की जाती है और जो आकस्मात बहिःस्थाव में बड़ी मात्रा में मिल सकते हैं।